न्यायालय अतिरिक्त तिला कलेक्टर, टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:– 59/2017

प्रविष्टि दिनांक:– 06.10.2017

1–सत्यनारायण पुत्र श्री मोहनलाल जाति सुनार (सोनी) निवासी कुहाडा बुजुर्ग हाल निवासी जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर

2–कैलाशचन्द पुत्र श्री मोहनलाल जाति सुनार (सोनी) निवासी कुहाडा बुजुर्ग हाल निवासी जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर

3–रामेश्वरी पुत्री श्री मोहनलाल सोनी पत्नी श्री ओमप्रकाश सोनी निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा

..... अपीलाण्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–अभिलेख टोडारायसिंह जिला टोंक

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश नामान्तरकरण संख्या 264 दिनांक 26.04.1968

उपस्थितः (1) श्री महेश शर्मा, अभिभाषक अपीलाण्ट्स
(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 19.07.2019

न्यायालय हाजा द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 26.04.1968 को निर्णय दिनांक 18.07.2014 को अपील खारीज किये जाने पर अपीलांट्स ने व्यथित होकर न्यायालय अति0 सम्भागीय आयुक्त अजमेर के यहां अपील प्रस्तुत की। न्यायालय अति0 सम्भागीय आयुक्त अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 24.08.2017 द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2014 को अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई है कि पक्षकारान को साक्ष्य एंव सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः निर्णित करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स ने अपनी लिखित बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम कुहाडा बुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह में अपीलाण्ट के पिता मोहनलाल को भूमि आराजी खसरा नंबर 2134 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा दिनांक 20.05.1965 को कृषि प्रयोजनार्थ भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा आवण्टन किया गया था। जिस पर अपीलाण्ट के पिता आवण्टन दिनांक से काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी पर अन्य व्यक्तियो द्वारा अपीलाण्ट के पिता से जबरन झगडा फसाद कर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

अपीलाण्ट के पिता को खेती नहीं करने दी। जिस पर उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के यहा दावा प्रस्तुत किया गया। जिसका निर्णय दि0 24.09.1975 को अपीलाण्ट के पिता के पक्ष में डिक्री हुआ और प्रतिवादियों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। उक्त डिक्री का ध्यान न रखकर अपीलाण्ट के पिता को आवण्टित भूमि ख0नं0 2134 हाल खसरा नंबर 507 रकबा 1.20 हेक्टेयर भूमि का आवण्टन पुनः प्रहलाद पुत्र जगन्नाथ उर्फ मिश्री कोम बलाई निवासी कुहाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह को कर दिया जिसे न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.01.13 से निरस्त कर दिया गया। अपीलाण्ट के पिता के देहान्त के बाद उक्त भूमि अपीलाण्ट्स के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपीलाण्ट के पक्ष में जो गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 264 दर्ज किया गया था एवं दि0 24.04.68 को खारिज कर दिया गया, उक्त खारिज किये गये आदेश को अपास्त किया जाकर गैर खातेदारी का अंकन बहाल रखे जाने के आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है।

राजकीय पेरोकार ने लिखित बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट अलाटी मोहनलाल के हक में आवण्टित भूमि का सुपुर्दगीनामा बनाकर पट्टा दिया जाना साबित नहीं है। साथ ही अलाटी ने अपने कथन की ताहीद में कोई सुपुर्दगीनामा अथवा पट्टा प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलाण्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी मालपुरा में अपीलाधीन आराजी के सम्बन्ध में दावा करने तथा डिक्री प्राप्त करने का जो तथ्य अंकित किया है उससे राज्य सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है न ही राज्य सरकार इसमें पक्षकार है। दावा हुक्म इम्तनाई दवामी केवल खातेदार ही न्यायालय में जा सकता है। पेरोकार सरकार द्वारा विशेष कथन में अंकित किया कि अपीलाधीन आदेश की अपील मियाद बाहर है जिसकी वजह से अपील चलने योग्य नहीं है। क्योंकि अपीलाण्ट ने अपनी अपील में देरी का जो कारण अंकित किया है वह सही नहीं है। विकल्प में यदि यह मान भी लिया जावे कि अपीलाण्ट को दि0 9.01.14 को विवादित नामांतकरण की नकल प्राप्त हुई है तो फिर उसने दिनांक 9.01.14 से प्रस्तुत अपील कार्य से 6.02.14 तक पेश नहीं करने का कोई उचित कारण पेश नहीं किया है। अतः अपील अवधिपार मानी जाकर निरस्त योग्य हैं। अपीलाण्ट को आवण्टित भूमि की कोई खातेदारी/गेरखातेदारी नहीं मिली है। आवण्टित भूमि का ना तो उसमें मौके पर कब्जा प्राप्त किया है ना ही उसका कोई मौके पर कब्जा है। इसलिए आवण्टित भूमि का विवादित नामांतकरण सं0 264 दि0 26.04.68 को ही खारिज कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में अपील अपीलाण्ट नियमानुसार निरस्त किये जाने योग्य हैं।

हमने अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया। तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 264 ,दिनांक 26.04.1968 आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नही मानते हुए दिनांक 26.04.1968 को अस्वीकार किया गया है,परन्तु पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलाण्ट के पिता मोहनलाल को भूमि आराजी खसरा नंबर 2134 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा दिनांक 20.05.1965 को कृषि प्रयोजनार्थ भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा आवण्टन किया गया है,यदि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नही था तो तत्समय ही आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रकरण सक्षम न्यायालय मे पेश करना चाहिए था। अभिभाषक अपीलांट्स का तर्क है कि उक्त आवंटित आराजी पर अन्य

Scanned by CamScanner

व्यक्तियो द्वारा अपीलाण्ट के पिता से जबरन झगडा फसाद कर कृषि नही करने देने पर अपीलांट्स के पिता द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के यहॉ दावा प्रस्तुत किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.1975 से अपीलाण्ट के पिता के पक्ष में डिक्री हुआ और प्रतिवादियों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। अतः उक्त विवेचन के मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार टोडारायसिंह का निर्णय दिनांक 26.04.1968 को अपास्त कर अपील अपीलाण्ट्स को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर तहसीलदार टोडारायसिंह का निर्णय दिनांक 26.04.1968 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार टोडारायसिंह को इस आदेश से रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाण्ट्स को समुचित सुनवाई/साक्ष्य–सबूत पेश करने का समूचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner